

(नियम 28)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पीपलू
मोहम्मद अहमद खां बनाम तहसीलदार पीपलू
किस्म मुकदमा-प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट.

प्रकरण संख्या 88 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही गय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
27.05.25	<p>पत्रावली रिपोर्ट होकर पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर तलबी नोटिस प्रतिपक्षी जारी हो। पत्रावली दिनांक 27.05.2025 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i> उप खण्ड अधिकारी पीपलू (टॉक)</p>	
27 ²⁵ / ₂₅	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उप। पत्रावली वास्तु तहरीर रिपोर्ट दिनांक 13.06.25 को पेश है।</p>	
36 ²⁵ / ₂₅	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी/प्रार्थनी अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली तब आदेशिका अनुसार दिनांक 16.6.25.....पेश है।</p>	
16 ²⁵ / ₂₅	<p>पत्रावली पेश हुई हुक्म पत्र उपस्थित T. D. R पीपलू से रिपोर्ट प्राप्त हुई उक्त पत्र में कटौत का विवेक दिया वत्स शुकी गई पत्रावली का हवालामुदा किया जाकर पत्र पत्र स्वीकार किया जाता है विधीय प्रकार से लिखा जाकर शामिल किया है। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दफ्तार दाखिल है (य रिपोर्ट अनुसार वत्स से कम है।)</p> <p><i>[Signature]</i> उप खण्ड अधिकारी पीपलू (टॉक)</p>	